

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (विलक करें)
- रानी दुर्गावती स्व रोजगार योजना (विलक करें)
- दीनदयाल स्व रोजगार योजना (विलक करें)
- मुख्यमंत्री पिछडावर्ग स्व रोजगार योजना (विलक करें)

i z/kkuea=h jkst xkj l`tu dk; Øe

; kstuk dk Lo: i &

स्वरोजगार

ik=rk dh 'krī &

- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो ।
- योग्यता – 8 वी पास से कम हितग्राहियों के लिये सेवा व्यवसाय हेतु अधिकतम 5 लाख एवं उद्योग हेतु अधिकतम 10 लाख रुपये ।
- 8 वी पास हितग्राहियों के लिये सेवा व्यवसाय हेतु अधिकतम 10 लाख रुपये एवं उद्योग हेतु अधिकतम 25 लाख रुपये ।
- आय सीमा नहीं ।

; kstuk ds rgr ns ykHk &

1. यह योजना भारत सरकार द्वारा सभी वर्गों के लिये उद्योग एवं सेवा के उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रारंभ की गई है। इसके माध्यम से शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाना है ।
2. ऋण राशि अधिकतम 25 लाख

vunku &

	सामान्यवर्ग पुरुष	आरक्षित वर्ग एवं महिला
शहरी क्षेत्र	15 प्रतिशत	25 प्रतिशत
ग्रामीण क्षेत्र	25 प्रतिशत	35 प्रतिशत

[आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।](#)

jkuh nqkbrh Lojst xkj ; kst uk

; kst uk dk Lo: i &

स्वरोजगार

ik=rk dh 'krj &

- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुजाति वर्ग का हो ।
- योग्यता – न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5 वी पास हो ।
- आय अधिकतम 3 लाख रुपये ।
- आयु 18 से 50 वर्ष तक ।

; kst uk ds rgr ns ykHk &

1. यह योजना राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के आर्थिक विकास के लिये प्रारंभ की गई है। इस वर्ग के आवेदकों को मार्जिन मनी अनुदान सहायता देकर बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
2. उद्योग /सेवा/व्यवसाय हेतु अनुदान राशि परियोजना लागत की 30 प्रतिशत व अधिकतम 15 लाख रुपये तक ।

vkonu fdl s iLrj djuk gS &

कार्यालय महाप्रबंधक , जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिवनी

xr o"kl@bl o"kl dk y{; &

वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत
2009-10	73	100
2010-11	-	-

[आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।](#)

nhun; ky Lojst xkj ; kst uk

; kst uk dk Lo: i &

स्वरोजगार

ik=rk dh 'krī &

- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो
- योग्यता – न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 वी पास हो अथवा आई.टी.आई उत्तीर्ण किया हो।
- आय अधिकतम 2.00 लाख रुपये ।
- आयु 18 से 40 वर्ष तक एवं महिला को 5 वर्ष की छूट ।

; kst uk ds rgr ns ykHk &

1. यह योजना म.प्र.शासन द्वारा प्रदेश के मध्यम वर्गीय शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को उद्योग, सेवा, व्यवसाय के क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिये प्रारंभ की गई है। जिसमें शासन द्वारा मार्जिन मनी अनुदान उपलब्ध कराकर बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाया जाता है।

2. अनुदान –

m | kx {k\$ & स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम रूपये 40000/- स्नातक हेतु अधिकतम 50000/-

l dk {k\$ & स्वीकृत परियोजना लागत का 7.5 प्रतिशत अधिकतम रूपये 15000/- स्नातक हेतु अधिकतम 25000/-

व्यवसाय क्षेत्र – स्वीकृत परियोजना लागत का 5 प्रतिशत अधिकतम रूपये 7500/-

vkonu fdl si Lrr djuk g\$ &

कार्यालय महाप्रबंधक , जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिवनी

xr o"kl @bl o"kl dk y{; &

वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत
2009-10	48	68
2010-11	50	—

[आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।](#)

ed; ea=h fi NMkoxZ Lojkst xkj ; kst uk

; kst uk dk Lo: i &

स्वरोजगार

ik=rk dh 'krZ &

- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।
- योग्यता – न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वी पास हो एवं तकनीकी व्यवसाय हेतु 10 पास ।
- आय क्रिमिलेयर से कम हो (2.50 लाख रुपये)।
- आयु 18 से 35 वर्ष तक
- परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा मे न हो।

; kst uk ds rgr n\$ ykHk &

1. यह योजना म.प्र.शासन द्वारा विशेष रूप से प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये स्वरोजगार स्थापित करने के लिये प्रारंभ की गई है। जिसमें शासन द्वारा मार्जिन मनी अनुदान देकर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

2. अधिकतम ऋण राशि 25लाख रुपये ।

अनुदान – पूंजीगत अनुदान (टर्म लोन) पर 25 प्रतिशत एवं ब्याज अनुदान कार्यशील पूंजी पर 5 प्रतिशत ।

vkonu fdl siLrqr djuk g\$ &

कार्यालय महाप्रबंधक , जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिवनी

xr o"kl @bl o"kl dk y{; &

वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत
2009-10	8	22
2010-11	10	-

[आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।](#)